नंबर 02/12/2016 टी सी भारत सरकार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) पश्चिमी खंण्ड 8 ब्लॉक 2 आर के पुरम नई दिल्ली

नोटिस

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी शीर्षक का पंजीयन तथा पंजीयन संख्या के सृजन की पूरी प्राकिया शीर्षक सत्यापन की तारीख से दो वर्ष के भीतर पूरी की जानी चाहिए। यदि इस समय सीमा के भीतर शीर्षक का पंजीयन नहीं किया जाता है तो वह स्वतः डी- ब्लॉक हो जायेगा, जैसा कि शीर्षक सत्यापन पत्र में पहले ही उल्लिखित है।

इसे प्रेस पंजीयक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हिमानी सरद) उप प्रेस पंजीयक

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

No.02/12/2016-TC
Government of India
Office of the Registrar of Newspapers for India
(Ministry of Information & Broadcasting)
West Block -8, Wing -2, R.K. Puram, New Delhi-66

NOTICE

It is hereby informed that effective 01.01.2017, complete process of registration of title & generation of registration number should be completed within a span of 2 years from the date of title verification. In case the title does not get registered within this time frame, it would automatically get deblocked, as is already mentioned in the title verification letter.

This issues with the approval of Press Registrar.

(Himani Sarad)

Deputy Press Registrar

Registrar of Newspapers of India